

मुकदमा..... मुकाम..... बनाम..... नम्बर..... वर्ष.....

श्रीज हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की  
तामील में जारी हुए

25/11/2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री तरुण शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा (नोमिनी), मैसर्स- धर्मपाल सत्यपाल लि. वि. परसरामपुरा पी.ओ. सरगोठ नियर वाटर हैड टैंक एस.के.एस. रीको इण्डस्ट्रीय एरिया रींगस जिला सीकर, कि ओर से एडवोकेट श्री राजेन्द्र सिंह तंवर उपस्थित हुये। वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 16.12.2016 को समय 04:30 पी.एम. पर रीको इण्डस्ट्रीज एरिया रींगस सीकर, में निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लि. वि. परसरामपुरा पी.ओ. सरगोठ नियर वाटर हैड टैंक एस.के.एस. रीको इण्डस्ट्रीय एरिया रींगस जिला सीकर, में अप्रार्थी श्री तरुण शर्मा की देखरेख में पाश्चुरिकृत टोंड दुध (क्षीर) का विक्रय हेतु पैकिंग तैयार थी। अप्रार्थी को मैने अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछा जो उन्होने बताया। तरुण शर्मा वर्ष 2016 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अप्रार्थी ने मौके पर खाद्य लाइसेन्स वर्ष 2016 नहीं होना बताया।

फर्म पर श्री तरुण शर्मा द्वारा विक्रय के लिये पाश्चुरिकृत टोंड दुध (क्षीर) पैकिंग कि जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध 300x4x500 एम.एल. पाश्चुरिकृत टोंड दुध (क्षीर) के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 24x500 एम.एल. मूल कम्पनी पैक मे खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 76 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया।


प्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं रखा जिससे ये साबित होता हो कि अप्रार्थी निर्दोष है। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से यह सामने आया कि अप्रार्थी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि प्रकरण में कम से कम जुर्माना राशि तय कर निस्तारण करने की कृपा करे। साथ ही डी.एस. ग्रुप का लोगो लगे पत्र में विन्दु संख्या 4 में यह भी स्वीकार किया गया है कि "जांच में दर्शाये गई मिथ्याछाप को सही कम्पनी द्वारा नई पैकिंग करवाकर पैकिंग शुरू कर दी गई है।" प्रार्थी के नम्बर एफ-657 खाद्य

(निमित्त कुमार)  
कलक्टर



राज्य केन्द्रिय जन स्वास्थ्य सेवा जयपुर कि रिपोर्ट के अलावा साथ  
से प्रकरण मिथ्याछाप पाया गया। प्रयोग शाला जयपुर की रिपोर्ट प्रकरण  
में एक अहम सबूत है। मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पाश्चुरिकृत टोड दुध  
(क्षीर) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं  
नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) का उल्लंघन पाया गया।  
अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम  
नहीं हो जाती है। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने  
जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है  
ताकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011  
की धारा 52 के तहत अप्रार्थी को 1,00,000 रु के जुर्माने से दण्डित  
किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड  
0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में  
जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय  
में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरुद्ध  
खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश  
आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

  
अति (अमित कुशवाहा)  
अतिरिक्त जिला क्वार्टर  
एवं अतिरिक्त जिला सीक्रेटरी  
नीमकायाना (सीकर)